राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांकः– एफ 9(05)(14) पेंशन पोर्टल/सा.न्या.अ.वि/2015–16/6950-7062 जयपुर,दिनांकः 10/7/2019

आदेश

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत ऐसी वृद्धावस्था महिला पेंशनर जिन्हें उनकी पात्रता के अनुसार लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना में विस्थापित किया गया, के पति की मृत्यु होने के कारण अगर वें विधवा पेंशन प्राप्त करना चाहती है, तो उनकी वैवाहिक स्थिति आयोजना विभाग के भामाशाह पोर्टल पर विधवा प्रदर्शित हो रही है, उनकी श्रेणी परिवर्तन हेतु भामाशाह पोर्टल से RAJSSP पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराये जाने पर ऐसी महिलाओं की लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना से विधवा पेंशन की श्रेणी में स्वतः ही परिवर्तन कर दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से पेंशनर को संशोधित/बढी हुई दरों से पेंशन का परिलाभ प्राप्त हो सकेगा।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लॉगिन पर परिवर्तित की गई श्रेणी के ऐसे समस्त पेंशनरो की सूची प्रदर्शित होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पेंशनर का संशोधित पीपीओ का प्रिन्टआउट लेकर सम्बन्धित पेंशनर को भिजवाया जायेगा साथ ही परिवर्तित की गई श्रेणी का पीपीओ ऑनलाईन सम्बन्धित पेंशन भुगतानकर्ता अधिकारी कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी को अग्रेषित करेगें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 9(05)(14) पेंशन पोर्टल/सा.न्या.अ.वि/2015–16/6950-7062 जयपुर,दिनांकः 10/7/2019

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।

Scanned by CamScanner

10. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि RAJSSP पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
15. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner